FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District**: STATE VIG. BUREAU PS: SVB Hisar **Year**: 2015 **FIR No**: 28 Date: 21.07.2015

2. **Act(s)**: **Section(s)**
(i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 409]420]467]468]471]204] 120B IPC 13 (1) D
(ii)
(iii)
(iv)

3. **Occurrence of Offence:**
(a) **Day**: Tuesday **Date From**: 21.07.2015 **Date To:** 21.07.215
Time Period: **Time From:** **Time To**:
(b) **Information received at P.S:** **Date:** 21.07.2015 **Time**: 12.30
(c) **General Diary Reference:** **Entry No : 5** **Time:** 12.30

4. **Type of Information: WRITTEN**

5. **Place of Occurrence:**
(a) Direction and Distance from P.S South-East /28 Km **Beat No**.: 04
(b) Address: Area Of Distt. Hansi
(c) In case, Outside the limit of the Police Station:
Name of P.S: SVB (H) Hisar **District: Hisar**

6. **Complainant/Informant**:
(a) **Name:** Inspr Bhupender Singh Sharma
(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN
(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**
(d) **Occupation:**
(e) **Address:** State Vigilance Bureau , Hisar Range Hisar
(f)
(g) **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

7. मेवासिहं नराता राम सैनी जिला प्रबन्धक, सुभाष गुप्ता लेखाकार, कनैफड विभाग हिसार , राजेश कुमार ईचार्ज फोकल पाईट हांसी ,कृष्ण कुमार उपनिरीक्षक डिलिंग हैड,डिएफएससी विपीन डिएफएससी कार्यालय हिसार ,अजीत सिहं परिवहन ठेकेदार गावं मोठ जिला हिसार , पदम सिहं सहायक , महेन्द्र सिहं उप निरीक्षक ,विपिन कुमार निरीक्षक , रणधीर सिहं उपनिरीक्षक, राजेन्द्र सिहं निरीक्षख, खाद्‌य एवं आपुर्ति विभाग हांसी जिला हिसार , जीवन दास डिप्पू होल्डर वार्ड न0 2 प्रकाश डिप्पु होल्डर मसुदपुर , मांगे राम डिप्पु होल्डर मसुदपुर मंजीत डिप्पु होल्डर राजपुरा, सौरभ बंसल डिप्पु वार्ड न07 ,कृष्ण कुमार डिप्पु होल्डर ढाणी पाल, बलराज डिप्पु होल्डर बडाला, सुखबीर डिप्पु होल्डर बडाला, विनोद डिप्पु होल्डर बडाला , मनोज डिप्पु होल्डर सिसाय, अशोक डिप्पु होल्डर सिसाय,अजीत डिप्पु होल्डर भकलाना,राजेश डिप्पु होल्डर कुतबपुर, राजबीर पुत्र करण सिहं डिप्पु होल्डर पुठी समैन, जयपाल डिप्पु होल्डर पुठी समैन, विकास डिप्पु होल्डर पुठी समैन, राजबीर पुत्र बलदेवा डिप्पु होल्डर पुठी समैन,सुभाष डिप्पु होल्डर चैनत,राजेश डिप्पु होल्डर चैनत,राजेश डिप्पु होल्डर दयाल सिहं कोलोनी हांसी व सतीश डिप्पु होल्डर भाटला हासीं हिसार और मेवा सिहं ए.एफ.एस.ओ.हांसी ।

8. **Reason for delay in reporting by the complainant/informant:**

9. **Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):**

SI.No.	Property Type (Description)	Est. Value (Rs.)	Status
(i)			

(ii)
(iii)
10. Total value of property stolen:
11. Inquest Report/U.D Case No., if any
12.
F.I.R Contents (attach separate sheet, if

श्रीमान जी जांच क्रमांक 10 दिनांक 06.09.2012 हिसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ के .यादि क्रमांक 55/12/12-3 चौकसी (11) दिनांक 31.08.2012 की अनुपालना मे दर्ज रजिस्ट्रर होकर महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पचंकुला के पृष्ठाकनं क्रमांक 11616/आई-3/एस.वी.बी.(एच.) दिनांक 06.9.2012 अनुसार इस मण्डल मे जाचं हेतू एस.पी. एस.वी.बी. हिसार के कार्यालय मे प्राप्त हुई थी यह जाचं श्री जय भगवान पुत्र जोगी राम निवासी , भाटला के आधार पर दर्ज रजिस्ट्रर की गई थी जिसमे आरोप था कि हांसी ब्लाक मे खाद्य एवं आपुर्ति विभाग के कर्मचारी डिपो होलडर के साथ मिली भगत करके बोगस राशन कार्ड तैयार करके सरकार द्वारा जारी स्कीम का राशन आम जनता मे ना पहुंचा कर डिपू धारको के साथ मिलीभगत कके खुद हजम कर रहे है । जो इस आरोप की पडताल निरीक्षक भुपेन्द्र सिहं , राज्य चौकसी ब्यूरो , उप केन्द्र फतेहबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार मण्डल हिसार कि देख रेख मे की गई है । जो जांच मे पाया कि FCI गोदाम से राशन AAY, BPL व APL उठाकर डिपो होल्डर तक सुरक्षित हालात मे पुहंचाने की जिम्मेवारी ट्रांसपोर्ट ठेकेदार अजीत सिहं व कनपैड कर्मचारी राजेश कुमार फोकल पवांइट हांसी की जिम्मेवारी मुताबिक एग्रीमैन्ट साल 2011व 2012 की तय की गई थी तथा इस बारे 10 लाख की सिक्योरिटी भी अजीत सिहं द्वारा कनफैड विभाग मे जमा कराई जानी पाई गई है । इस ठेकेदार ने अतिरिक्त उपायूक्त महोदय की जांच के दौरान ही अपनी सिक्योरिटी 10 लाख रुपये वापिस लेने बारे दिनांक 4.4.12 को जिला मैनेजर कनफैड को दरखास्त दी तथा राजेश कुमार फोकल पवाँइट हांसी ने रिपोर्ट की की ठेकेदार की प्रतिभुति राशि 10 लाख रुपये वापिस की जाए जबकि डिपो पर राशन ना पंहुचाने बारे जांच चल रही थी । परिवहन ठेकेदार की दरखास्त पर जिला प्रबन्धक कनफैड नराता राम ने तमाम कार्यवाही करते हुए प्रतिभूति राशि 10 लाख मे से 9/1/2 लाख रुपये का चैक न० 7931 दिनांक 9.5.12 को वापिस करके सरकार को 9/1/2 लाख रुपये की हानि पहुंचाने है । इस प्रतिभूति की राशि को वापिस करने मे राजेश कुमार लिपिक, फोकल पवाँइटं हांसी की अहम भूमिका पाई गई है। तथा जिला प्रबन्धक कनफैड नराता राम व लेखाकार सुभाष गुप्ता कनफैड की मिलीभगत भी पाई गई है । इसलिए उक्त प्रतिभूति राशि 9/1/2 लाख रुपये के लिये जिम्मेवार है । मास अगस्त व नवम्बर 2011 मे APL गेहुं 15 कि.ग्रा. व बाकी मास मे 10 कि ग्रांम. प्रति कार्डज के हिसाब से राशन वितरण किया जाना था । मास अप्रैल 2011 से जुलाई तक BPL कार्ड की संख्या 7756 है तथा अगस्त मे 10456 दिखाई है इसी प्रकार APL कार्ड की संख्या अप्रैल 2011 से जुलाई 2011 तक 62834 दी है तथा अगस्त मे 69971 दी गई है ।। सितम्बर 2011 से दिसम्बर 2011 तक कोई रिकवायरमैन्ट भेजनी नही पाई गई है। इस प्रकार जिला खाद्यय एवं आपूर्ति नियन्त्रक ने अगस्त मास का राशन तो बढा दिया मगर सितम्बर 2011 से दिसम्बर 2011 तक राशन अपने आप पिछली रेशो से जारी करना पाया गया है जबकि जांच के दौरान BPL 7756 व APL 62834 कार्ड होने पाए गए है । इस प्रकार राजेश कुमार, लिपिक फोकल

पवाँइटं हांसी ने डिपो धारको द्वारा बिना पैसे जमा कराए मास अगस्त का राशन उठाने के लिए प्रार्थना पत्र जिला प्रबन्धक कनफैड को देकर डिमाण्ड लैटर DFSC को भिजवाया तथा उन डिमाण्ड पत्र मे राशि नही लिखी गई । जिला प्रबन्धक कनफैड द्वारा मास अगस्त का डिमाण्ड पत्र 4.8.11 को जारी करना पाया गया है तथा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक द्वारा उक्त डिमाण्ड पत्र के आधार पर एक दिन पहले यानि 3.8.11 को राशन जारी किया जाना पाया गया है तथा इस राशन की राशि दिनांक 10.8.11 तक जमा होनी पाई गई है तथा DFSC हिसार के द्वारा उक्त डिमाण्ड पत्रो के आधार पर RO (रिलीज आर्डर) जारी कर दिए और राशि जमा होने बारे RO (रिलीज आर्डर) पत्र मे लिखा गया । इस प्रकार बिना राशन कार्ड होते हुए काफी अधिक मात्रा मे गेहुं को FCI से उठाकर वितरण दिखाया गया है जो उक्त उठाया गया कुछ डिपो होल्डर पर जांच के समय पुहंचाना नही पाया गया और DFSC द्वारा उठाया गया राशन वितरण बारे 4/2011 से 12/2011 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जबकि हांसी केन्द्र से उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी (PDS) डायरी प्राप्त ही नही हुई । जिससे सरकार को लगभग अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 तक 77660.26 रु० सरकार को हानि पंहुचाई जानी पाई गई है । इसी प्कार मास अगस्त मे जो APL गेहुं का RO N0 . APL-IDT 3.8.11 को 15 किग्राम. प्रति कार्ड के हिसाब से 69971 कार्डो की गेहुं 10490 क्विं जारी की गई थी तथा उसी मास 69971 APL कार्डो का राशन 10 किग्रा. प्रति कार्ड के हिसाब से RO NO-APL-I DT 19.8.11 को6280 क्विं का जारी किया है जबकि अगर उक्त (69971) कार्डो को सही मानते है तो इसका राशन 6997 क्विंटल जारी किया जाना चाहिए था मगर वास्तव मे इन उक्त कार्डो का कोई रिकार्ड AFSO दफ्तर हांसी मे होना नही पाया गया तथा ना ही कैटगिरवाईज कार्ड की संख्या बतलाई गई है । जो दुसरी बार जो APL गेहुं का RO काटा गया है वह गेहुं डायरेक्टर फुड सप्लाई के पत्र क्रमांक - 02/01/11FG-3/11456 Dt 10.6.11 के आदेश अनुसार ठीक जारी किया गया है क्योकि यह गेहुं 6280 क्विटंल मास सितम्बर 2011 के लिए डिपो होल्डर को दी जानी थी DFSC महोदय के कार्यालय से माह 6/2011 मे व 7/2011 मे व 9/2011 के लिए 6280 क्विं गेहुं जारी की गई है तथा केवल 8/2011 मे 10490 क्विं गेहुं जारी की गई है । इस प्रकार मास अगस्त 2011मे 15 किग्राम के हिसाब से 6280भाग 2 गुना3 = 9420 QT.गेहुं जारी की जानी थी । लेकिन 10490 किवं. गेहुं जारी की गई है 10490-9420=1070 क्विं APL गेहुं मास अगस्त 2011 मे बिना राशन कार्ड होते हुए जारी की गई है इसी प्रकार 11/2011 मे APL 9660 कि गेहुं 15 किग्रा. प्रति कार्ड के हिसाब से RO NO. APL-4 Dt18.11.11 को जारी किया गया है । इस प्रकार पिछले राशन कार्ड को आधार मान कर तुलना की जाए तो इस मास का APL राशन6280भाग2 गुना3 =9420 बनती है । मगर राशन 9660 क्विटंल जारी किया गया जो इस मास भी 9660-9420=240 क्विं. गेहुं APLबिना राशन कार्ड होते हुए जारी किया जाना पाया गया है । इस प्रकार अगस्त मास मे 1070 तथा नवम्बर मे 240 क्विं. गेहुं कुल 1070+240=1310 क्विं. गेहुं बिना राशन कार्ड जारी की है । जिसकी किमत सरकारी रेट अनुसार 1310गुना693=907830 रुपये बनती है जो इस राशि का सीधी हानि हुई है इस प्रकार 907830 रु० की हानि मे राजेश कुमार लिपिक फोकल पवाँइटं हांसी DM कनफैड मेवा सिहं व सुभाष चन्द्र गुप्ता , लेखाकार कनफैड विभाग, अजीत सिहं ठेकेदार , कृष्ण कुमार उप निरीक्षक वा पदम सिहं AFSO हांसी की मिलीभगत पाई गई है । इस प्रकार हांसी प्रोविजनल रिर्जव सैन्टर (PR) सैन्टर के अधीन153 डिपो शहर व गावं के होने पाए गए है । जिनमे से

50 डिपो का रिकार्ड चैक किया गया है तथा यह जांच अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 तक की गई है । सर्वप्रथम हांसी वार्ड न० 2 के डिपो होल्डर जीवनदास का रिकार्ड चैक किया गया है । जीवनदास के कथन अनुसार APL-898,BPL-526 व AAY 43 राशन कार्ड होने बताए है ।मगर इसका कोई रजिस्ट्रैशन रजिस्ट्रर पेश नही किया । एएफओ हांसी के रिकार्ड अनुसार जीवनदास के डिपो पर APL-645,BPL-395 व AAY-44 राशन कार्ड होने पाए गए है । सरकार के आदेश अनुसार APL गेहुं 10 किग्रा. प्रति कार्ड वBPL,AAY 35 किग्रा. प्रति कार्ड जारी की जाती थी । इस प्रकार इस डिपु धारक को अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 तक 5.35 क्विं. AAY गेहुं 341.75 किलो BPL गेहुं तथा 544.50 क्विं. APL गेहुं मात्रा से ज्यादा देनी पाई गई है । जिसका सरकारी रेट के अनुसार 1043.25+161504.25+353491=516038.50 पैसे बनती है । जिसका सरकार को नुकसान होना पाया गया है जो इस लापरवाही के लिए जीवनदास डिपु होल्डर हांसी राजेश कुमारलिपिक ईन्चार्ज , फोकल प्वाइटं हांसी, महेन्द्र सिहं उपनिरीक्षक ,विपिन कुमार उपनिरीक्षक व पदम सिहं ए.एफ.ओ हांसी की जिम्मेवारी बनती है । प्रकाश व मागेंराम डिपो होल्डर गावं मसुदपुर की जांच की गई है । इन डिपू का रिकार्ड एएफओ हांसी से व वितरण किए गए राशन का रिकार्ड फोकल प्वाइटं हांसी से प्राप्त किया गया है । जो इन दोनो डिपु पर AAY-120,BPL-328 APL-1201 राशन कार्ड मुताबिक रिकार्ड होने पाए गए है तथा इस डिपू धारक को अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 तक 18 क्विं. AAY गेहुं जिसकी किमत 18गुना195=3510 रुपये व 277.70क्वि. गेहुं BPL जिसकी कीमत 277.70गुना471=130796.70 रुपये व APL गेहुं 665.60 कि मात्रा से ज्यादा दिया गया है जिसकी कीमत 629586.30 रु० बनती है तथा 419 किव. APL गेहुं जिनकी रसीदे उक्त डिपू धारक के नाम जारी कर रखी है मगर यह गेहुं डिपू पर पहुंचना नही पाया गया जिसकी राशि 340870रु० बनती है जो कुल 1104763.50 रु० की हानि पुहंचाई है । प्रकाश व मागेंराम , राजेश कुमार FP हांसी , अजीत ठेकेदार वा महेन्द्र सिहं उप निरीक्षक की जिम्मेवारी बनती है । इसी तरह मनजीत डिपो होल्डर राजपुरा के डिपू को चैक किया गया जो मनजीत डिपो होल्डर पर AAY-15,BPL-93 APL-93 वAPL-235 कार्ड होने पाए गए है । इस डिपो धारक को अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 तक 67.80 किव. BPL गेहुं जिसकी राशि 31957.35 पैसे बनती है तथा 319.75 क्विं APL गेहुं मात्रा से ज्यादा देनी पाई गई है । जिसकी कीमत सरकारी रेट के अनुसार 272888.25 पैसे बनती है कुल 272888.25+31957.35=304845.60 रुपये की सरकार को हानि हुई है । इस हानि के जिम्मेवार डिपो होल्डर मनजीत सिहं, राजेश कुमार FP हांसी व अजीत सिहं ठेकेदार व साधु राम उपनिरीक्षक AFSO दफतर हांसी की बनती है तथा रसीद नम्बर1225 दिनांक 10.8.11 व रसीद नम्बर 25402 दिनांक 20.8.11 के अनुसार 85 क्विटंल +25 क्विटलं कुल 110 क्विंटल APL गेहुं डिपो पर पहुचनी नही पाई गई है । जिसकी कीमत 57375+16875=74250 बनती है । इन रसीदो पर मनजीत के हस्ताक्षर बोगस किये जाने पाये गये है । इस प्रकार इस गेहुं की कुल राशि रु०389095 रु० बनती है जो इस हानि के लिये मनजीत सिहं डिपू होल्डर हांसी , राजेश कुमार, लिपिक इन्चार्ज फोकल प्वाइँट कनफैड हांसी , अजीत सिहं ठेकेदार व उपनिरीक्षक महेन्द्र सिहं, साधुराम उपनिरीक्षक की जिम्मेवारी बनती है । इस प्रकार सौरभ बंसल वार्ड न० 9 हांसी के डिपो का रिकार्ड चैक किया गया है जो डिपू धारक के अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 तक AAY गेहुं 2-10 क्विंटल तथा BPL-191.60 क्विटंल तथा APL-376.00 क्विंटल गेहुं मात्रा से ज्यादा देना पाया गया है ।

जिसका सरकारी रेट अनुसार कीमत 407.70 +90168.80+ 290751.20 =381327.70 पैसे बनते है । जिसकी सरकार को हानि पहुंचाई है । इसके लिये इस राजेश कुमार FP हांसी , महेन्द्र सिहं उपनिरीक्षक , अजीत सिहं , ठेकेदार व डिपू होल्डर सौरभ बंसल की जिम्मेवारी बनती है । इसी प्रकार कृष्ण कुमार ढाणी पाल के डिपो का रिकार्ड चैक किया गया जो डिपो धारक को अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 तक AAY 24.45 क्विंटल BPL557.40 क्विंटल तथा APL 543 क्विटंल मात्रा से अधिक देनी पाई गई है । जिसका सरकारी रेट अनुसार कीमत AAY 4767.75 BPL 268421.80 तथा APL की 398185.50 पैसे बनती है कुल 1124.85 क्विंटल गेहुं कीमत 671375.05 पैसे बनती है । इस प्रकार इस डिपू धारक ने राजेश कुमार लिपिक इन्चार्ज फोकल प्वाइँट हांसी अजीत सिहं ठेकेदार तथा रमेश कुमार उप निरीक्षक साधुराम उप निरीक्षक व विपन कुमार निरीक्षक हांसी के साथ मिलकर 1124.85 क्विटंल गेहुं जिसकी कीमत 671375.05 पैसे की हेराफेरी करके सरकार को नुकसान पंहुचाया है । इसी प्रकार बलराज डिपो होल्डर गावं बडाला व सुखबीर डिपो होल्डर गावं बडाला व विनोद डिपो होल्डर गावं बडाला का रिकार्ड चैक किया गया है जो BPL राशन अप्रैल मई जुन ,जुलाई मे 252.80 कि ग्राम मात्रा से ज्यादा दिया जाना पाया गया है तथा APL गेहुं 158.80 किलोग्राम गेहुं भी मात्रा से ज्यादा देना पाया गया जिसका सरकारी रेट अनुसार BPL गेहुं की कीमत 118986.55 पैसे व APL गेहुं की कीमत146413.60 पैसे कुल 118986.55 +146413.60=265400.15 पैसे बनती है जो इस राशि का सरकार को नुकसान पंहुचाने के लिए जिम्मेवार है । मास अगस्त मे 322 किवंटल गेहुं जो उक्त डिपो के नाम वितरण की रसीद कनफैड द्वारा जारी की गई है । मगर यह 322 किवंटल गेहुं उक्त डिपो पर पंहुचाना ही नही पाया गया । यह राशन डिपो धारको के स्टाक रजिस्ट्रर मे इन्द्राज नही किया जाना पाया गया है । इस प्रकार 322 किवंटल राशन जिसकी कीमत 322 गुना 675=217350.00 रुपये की राशि का सरकार को नुकसान होना पाया गया है । इसलिए उपरोक्त कुल राशि 482750.15 रु० के नुकसान के लिये बलराज सिहं डिपु होल्डर ,सुखबीर सिहं डिपू होल्डर ,विनोद डिपू होल्डर गावं बडाला ,राजेश कुमार लिपिक फोकल प्वाइँट हांसी व अजीत सिहं ठेकेदार वा महेन्द्र सिहं उप निरीक्षक हांसी जिम्मेवार है । गावं सिसाय मे मनोज व अशोक के डिपो को चैक किया गया । मास जून मे इस डिपू धारक के 70.50 किवंटल APL गेहुं मात्रा से ज्यादा देनी पाई है । जिसकी सरकारी रेट अनुसार 47587.50 पैसे बनती है । तथा माह अगस्त मे इन डिपो धारको के नाम चार BILL APL गेहुं 91+72+38 +38 =325 किवंटल को राजेश कुमार लिपिक इन्चार्ज ,फोकल प्वाईंट ने बिल काटा है तथा स्टाक रजिस्ट्रर मे गेहुं वितरण करनी पाई गई है । जबकि उक्त डिपो मे केवल106 किवंटल गेहुं की पंहुचानी पाई गई है । इसी प्रकार नवम्बर व दिसम्बर मे 93+116 किवंटल का बिल काटा है मगर यह APL गेहुं भी डिपो पर पंहुचनी नही पाई गई है । इस प्रकार 325-106=219+96+116=431 APL किवटंल गेहुं जिसकी राशि सरकारी रेट अनुसार
431गुना675=290925 रुपये राशि का सरकार को नुकसान पंहुचाया है तथा डिपो होल्डर होल्डर द्वारा ना तो पैसे जमा कराए गए और ना ही ईन्डैट भरा गया है । इसी प्रकार AAY172.50+BPL 310.50Q. गेहुं कुल 483 क्विटंल डिपो पर पंहुचाना नही पाया गया है । जबकि सरकार द्वारा यह राशन पुरा जारी किया गया है । इस प्रकार उक्त गेहुं की किमत सरकारी रेट अनुसार 33637.50+146245.50=179883.00 बनती है जो उपरोक्त सभी ने आपस मे मिली भगत करके सरकार

को 518395.50 रु० का नुकसान पंहुचाया है । इसके लिये मनोज व अशोक डिपू होल्डर राजेश कुमार लिपिक ईन्चार्ज फोकल प्वाईन्ट ,अजीत सिह ठेकेदार वा रमेश कुमार उप निरीक्षक जिम्मेवार है इस प्रकार अजीत पुत्र श्री रामफल निवासी भकलाना के डिपो को चैक किया गया कि जो जांच मे पाया गया कि अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011तक 4 क्विटंल गेहुं BPL मात्रा से ज्यादा देनी पाई गई । जिसकी राशि 1882/- बनती है तथा जून मास मे 65 क्विटंल बीपीएल गेहुं जिसकी रसीद डिपो होल्डर के नाम जारी की गई है । मगर यह राशन डिपो पर पंहुचाना नही पाया गया जिसका रेट अनुसार 30615.00 रुपये बनती है तथा इस डिपू होल्डर के नाम 473 क्विटंल APL व 65Q. BPL गेहुं की रसीदे जारी की गई है जिसकी किमत 30615 रु० बनती है मई मे 90Q. APL जून मे 76Q, APL अगस्त मे 208Q. APL नवम्बर मे 99Q. APLगेहुं की रसीदे काटी गई है और उन रसीदो पर डिपो होल्डर के झुठे प्राप्ती पर हस्ताक्षर भी किए है तथा कनफैड के स्टाक रजिस्ट्रर मे इन्द्राज भी किया जाना पाया गया है । मगर (90+76+208+99)=473q. APL राशन डिपो पर पंहुचाना नही पाया गया तथा 13.80Q. गेहुं APL डिपू पर ज्यादा दिया गया है इस प्रकार से 473Q. गेहुं की राशि 319275 रुपये व 13.80Q. की कीमत 9315 रुपये बनती है इस प्रकार उपरोक्त सभी ने 30615.00+319275+9315=359205 रु० सरकार को नुकसान पहुचांया है जिसके लिये अजीत डिपू होल्डर , राजेश , लिपिक इन्चार्ज फोकल प्वाईन्ट हांसी , अजीत सिहं ठेकेदार की जिम्मेवारी बनती है । इसी प्रकार राजेश पुत्र श्री राम स्वरुप ढाणी कुतुबपुर डिपो होल्डर के वितरण का रिकार्ड चैक किया गया । अप्रैल 2011 से दिसम्बर2011 तक के रिकार्ड अनुसार इस डिपू धारक के 3.40Q. AAY गेहुं जिसकी कीमत 652.80 पैसे तथा BPL गेहुं119.40Q. जिसकी राशि सरकारी रेट अनुसार 56134.60 तथा 316.25Q. APL गेहुं मात्रा से ज्यादा देनी पाई गई है । इस प्रकार इस डिपो धारक कॅ 439.05Q. गेहुं जिसका सरकारी रेट अनुसार652.80+56135.60+238662.75=295450.15 का राशन फालतु देकर सरकार को हानि पंहुचाई है । इस हानि पहुंचाने मे राजेश डिपो होल्डर राजेश कुमार लिपिक इन्चार्ज फोकल प्वाइन्ट हांसी, अजीत सिहं ठेकेदार व रमेश कुमार उप निरीक्षक की मिलिभगत पाई गई है । इसी प्रकार गावं पुट्ठी सैमण मे राजबीर पुत्र श्री बलदेवा , राजबीर पुत्र कर्ण , विकास व जयपाल डिपो होल्डर की जांच की गई है इन चारो डिपो धारको को अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 के दौरान 3.50Q. AAY व 16.70Q. BPLराशन मात्रा से ज्यादा दिया जाना पाया गया है । जिसकी सरकारी रेट अनुसार राशि 682.50+7714.10=8396.60 पैसे बनती है तथा मई 2011 मे इन चारो डिपो धारको के 21.00Q. APL गेहुं जिसकी किमत 19362.00 बनती है मात्रा से ज्यादा दी गई है इस प्रकार 8396.60+19362=27758.60 रु का सरकार को नुकसान पहुंचाया है तथा इसी प्रकार 29.6.11 को 77 क्विटलं जयपाल के नाम व 38 क्विटलं राजबीर के नाम रसीद बनाई है तथा रसीद पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर किए गए है । जबकि यह गेहुं डिपू पर पहुंचानी नही पाई गई । इस गेहुं की सरकारी रेट अनुसार 106030 रुपये है तथा मास अगस्त मे राजबीर के नाम 7-9-22/8/11 को 102+140+102Q. जयपाल के नाम 7-10,22/8/11 को 58+93+58 क्विंटल की रसीद तथा 22.8.11 के विकास के नाम 48+48Q. गेहुं की रसीद काटी हुई तथा कनफैड स्टाक रजिसटर मे वितरण दिखाया जाना पाया गया । मगर उक्त राशन डिपो पर पहुंचाना नही पाया गया कुल 649Q. राशन जारी किया गया । जबकी डिपू पर उक्त राशन मे से केवल 48+58 = 106Q. गेहुं ही पहुंचा है इस प्रकार 649-106=543Q. की रसीद

बनाकर डिपो होल्डर के प्राप्ती से हस्ताक्षर भी किए जाने पाए गए है तथा इन डिपो होल्डर द्वारा 543/-Q. गेहुं की राशि भी बैंक मे जमा नही कराई और ना ही कोई इन्डैन्ट दिया गया है । 543 गेहुं जिसकी राशि 366525/- रुपये बनती है तथा दिसम्बर मास मे इन चारो डिपो पर 24Q. गेहुं मात्रा से कम देनी पाई गई है । जबकी सरकार द्वारा पुरा राशन जारी किया गया है । इस प्रकार 24Q. गेहुं की राशि 16200 रुपये बनती है । इस प्रकार इन डिपो धारको के कुल 77+38+543+24 =682 क्विटलं जिसकी सरकारी रेट अनुसार 106030+366525+16200=488755.00 बनती है तथा दिनांक 27.7.11 को 61.00 कि. जयपाल वा 75 कि. राजबीर पुत्र कर्ण के नाम BPL गेहुं जारी की गई है तथा यह राशन भी डिपो पर पहुंचाना नही पाया गया इस प्रकार 61+75=136X471=64056 पैसे बनती है उक्त रसीदे काट कर उन पर झुठे हस्ताक्षर डिपु होल्डर के प्रतीत होते है जो कुल 27758.60+106030+ 366525+ 16200=552811.60 रु० का सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है । जो इस नुकसान के लिये गावं पुट्ठी सैमण मे राजबीर पुत्र श्री बलदेवा , राजबीर पुत्र कर्ण , विकास व जयपाल डिपो होल्डर , राजेश कुमार लिपिक फोकल प्वाइन्ट हांसी , अजीत ठेकेदार वा महेन्द्र सिहं निरीक्षक जिम्मेवार है । इसी प्रकार राजेश व सुभाष डिपो होल्डर गावं चैनत के डिपो की जांच की गई है इन डिपो धारको के मास सितम्बर के 14.25Q. एएवाई गेहुं जिसकी राशि 2778.75 पैसे बनती है फालतू दी गई है। इसी प्रकार इन धारको को अप्रैल ,मई , जून व सितम्बर 57.65+39.65+39.65+124.65=260.95 क्विटंल बीपीएल जिसका सरकारी रेट अनुसार रेट 26864.90+ 186 75.15+13965.15+58710=118215.20 क्विंटल रुपये का गेहुं फालतु मात्रा से ज्यादा दिया जाना पाया गया है तथा मास जुलाई मे दिनांक 27.7.11 को 80 किवटंल व 56 क्विटंल की बीपी एल गेहुं की रसीद डिपो होल्डर राजेश व सुभाष के नाम काट रखी है तथा इन रसीदो पर प्राप्ती के हस्ताक्षर भी किए हुए है । मगर यह गेहुं उक्त डिपूओ पर पहुंचानी नही पाई गई है । यह गेहुं राजेश कुमार लिपिक इन्चार्ज ,फोकल प्वाईन्ट हांसी ने परिवहन ठेकेदार अजीत से मिलकर कही बाहर भेजनी पाई गई है । इस गेहुं की राशि सरकारी रेट अनुसार 64056 पैसे बनती है इसी प्रकार मास मई मे 24.30 क्विटंल एपीएल गेहुं मात्रा से कम दनी पाई गई तथा जून 2011 म 72.70 क्विटंल एपीएल गेहुं मात्रा से कम देनी पाई गई तथा जून 2011 मे 72.70 क्विंटल गेहुं डिपू पर मात्रा से ज्यादा देनी पाई गई । इस प्रकार कुल 24.30+72.70=97.00Q. APL गेहुं जिसकी राशि 22404.60+ 67029.40 =87434.00 का सरकार को नुकसान पहुंचाया है तथा दिनांक 10.8.11 के व 22.8.11 के उक्त डिपो के नाम 95+35+95+35=260Q. APL गेहुं की रसीदे जारी करनी पाई गई है तथा कनफैड के स्टाक रजिस्टर मे भी वितरण का इन्द्राज करना पाया गया है जबकी यह260Q. गेहुं APL उक्त डिपूओ पर पहुंचाना नही पाया गया है । इस गेहुं का सरकारी रेट अनुसार राशि 180180/- रुपये बनती है । जिसका सीधा सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है तथा 260Q. APL व 136Q. BPL गेहुं की रसीदे काट रखी है और उन प्राप्ती रसीदो पर डिपू होल्डर के झुठे हस्ताक्षर किए जाने प्रतीत होते है । 260.95Q. BPLव 97Q. APL गेहुं मात्रार से ज्यादा देनी पाई गई है इस प्रकार उक्त दोनो डिपू धारको व जिसमे राजेश कुमार लिपिक इन्चार्ज ,फोकल प्वाईन्ट हांसी अजीत सिहं ठेकेदार की मिलीभगत से हेराफेरी किया जाना पाया गया है जो उपरोक्त राजेश व सुभाष गावं चैनत डिपू होल्डरो , राजेश कुमार लिपिक इन्चार्ज ,फोकल प्वाईन्ट हांसी , महेन्द्र सिंह उप निरीक्षक तथा राजेश सिहं उप निरीक्षक हांसी न आपस म मिली भगत करके सरकार को कुल 277.75+64056+

22404.60+67029.40 +180180=452663.95 रु० का नुकसान पहुंचाया है । इस प्रकार राम प्यारी डिपू होल्डर ढाणी गुजरान को चैक किया गया सरकार द्वारा APL गेहुं अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 तक 6 बार जारी की गई है । मगर इस डिपू होल्डर को केवल तीन बार 26.5.11, 26.6.11 व 7.11.11 को 10+10+20=40Q. मिलना पाया गया जबकी रिकार्ड अनुसार इस डिपू धारक की देय मात्रा मई ,जुन जुलाई व सितम्बर की 1680X4=67.20Q. व अगस्त सितम्बर की 25.20X2=50.40Q. अनुसार 67.20+50.40=117.60Q. बनती है तथा इस डिपू धारक के नाम रसीद नम्बर 1215 दिनांक 9.8.11 जो 20Q. की जारी करनी पाई गई है । मगर यह राशन डिपो पर पहुंचाना नही पाया गया । इस प्रकार इस डिपू धारक को देय मात्रा से 77.60Q. गेहुं नही दिया जबकि सरकार द्वारा यह राशन प्राप्त किया जाना पाया गया है । इस प्रकार इसकी राशि 77.60X675=52380/- के राशन की हेरा फेरी करी है । जो उपरोक्त कुल 52380.00+13500=65880.00 रु राशि का सरकार को नुकसान पहुंचाया है । जिसके लिये राजेश कुमार लिपिक इन्चार्ज ,फोकल प्वाईन्ट हांसी अजीत सिहं ठेकेदार व साधुराम उप निरीक्षक हांसी जिम्मेवार है । इस प्रकार राजेश डिपो होल्डर गावं दयाल सिहं कालोनी हांसी को चैक किया गया है जो रिकार्ड के अनुसार इस डिपू पर AAY कार्ड का होना नही पाया गया । मगर FP के रिकार्ड अनुसार इस डिपू धारक को अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 तक 52.50Q. AAY गेहुं जारी करनी पाई गई है । राशन की किमत सरकारी रेट अनुसार 10237.50 पैसे बनती है । इस प्रकार इस डिपू धारक को BPL गेहुं 429Q. जारी किया जाना पाया गया है । जबकी इस डिपू पर105 BPL राशन कार्ड है । इस डिपू पर 8 माह की देय मात्रा 294.00Q. बनती है । इसी प्रकार इस डिपो धारक को 429-294=135Q. गेहुं जिसका सरकारी रेट 63585.00 बनती है । मगर इस डिपो धारक के पास 595APL कार्ड है तथा इस डिपू के देयमात्रा 416.50Q. बनती है । मगर इस डिपो धारक को 1045Q. गेहुं रिकार्ड अनुसार जारी होनी पाई गई है । इस प्रकार 1045-416.50=628 Q. गेहुं की मात्रा से ज्यादा देनी पाई गई है । जिसका सरकार रेट अनुसार 579477.00 रुपये बनती है । इस प्रकार AAY गेहुं की राशि 10237.50 पैसे की जिम्मेवारी राजेश डिपू होल्डर व राजेश इन्चार्ज से व बाकी 63585+579477=643062 रुपये का सरकार को नुकसान हुआ है । जो 643062 रुपये का नुकसान के लिये राजेश डिपू होल्डर गावं दयाल सिहं कालोनी हांसी राजेश कुमार लिपिक इन्चार्ज ,फोकल प्वाईन्ट हांसी , महेन्द्र सिहं निरीक्षक , पदम सिह AFSO व मेवा सिहं AFSO अजीत सिहं ठेकेदार की जिम्मेवारी पाई गई है इस प्रकार होशियार सिहं पुत्र श्री पृथ्वी सिहं, भाटोल जटान के डिपो होल्डर को चैक किया तो इसके पास रिकार्ड अनुसारAPLके 700 कार्ड होने पाए गए है । APL स्टाक रजिस्ट्रर के अवलोकन से पाया गया कि इस इस डिपो धारक को 24.5.11 के 39Q. 22.6.11 के 45.00, 8.8.11 के 72.00 तथा 2.12.11 को 65Q. गेहुं प्राप्त होना पाया गया है जबकि इस डिपू धारक की राशन कार्ड के मुताबिक देय मात्रा 70+70+105+105=350Q. बनती है तथा इस डिपो धारक के 221Q. गेहुं दिया गया है । 350-221=129Q. कम दिया गया । फोकल पाईन्ट हांसी से इस डिपो धारक के जारी रसीदे व स्टाक रजिस्टर प्राप्त करके अवलोकन करने पर पाया गया कि इस डिपो धारक के नाम उपरोक्त 221Q. ते अलावा रसीद नम्बर 13542 दिनांक 28.6.11 के अनुसार 93.00 व रसीद नम्बर 7104 दिनांक23.8.11 के अनुसार 62Q गेहुं की जारी होनी पाई गई जो इस रसीदो पर प्राप्तकर्ता होशियार सिहं के हस्ताक्षर किए जाने पाए गए है । मगर यह राशन डिपो होल्डर के रिकार्ड अनुसार डिपो पहुंचाना नही पाया गया

और ना ही डिपो होल्डर द्वारा इस गेहुं के पैसे जमा करवाए है । इस प्रकार 129+155=284Q. APL गेहुं जिसका सरकारी रेट अनुसार 284X922 = 261 848.00 बनते है । इस राशि का सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है । नुकसान पहुंचाने मे राजेश कुमार लिपिक इन्चार्ज ,फोकल प्वाईन्ट हांसी , रणधीर सिहं निरीक्षक , विपन कुमार निरीक्षक व अजीत सिहं ठेकेदार मेवा सिहं व पदम सिहं एफ.एसओ को मिली भगत पाई गई है । इसी प्रकार जयभगवान डिपो होल्डर दयाल सिहं कालोनी हांसी के डिपो को चैक किया गया है तो पाया गया कि इस डिपू धारक के 25.5.11, 26.6.11, 6.8.11 व 2.12.11 के 17+21+31+31=100Q. गेहुं दिया गया है जबकि इस डिपू की देय मात्रा 27.50+ 27. 50 +41.25 +41.25=137.50Q.बनती है ।. इसके अलावा 137.50-100=37.50Q. गेहुं कम दिया गया जबकि फूड विभाग द्वारा इस डिपू का पूरा राशन जारी किया गया है ।तथा 19.8.11 को जो APL गेहुं सितम्बर मास की 10KG के हिसाब से जारी की गई थी । वह गेहुं डिपू पर नही दिया जाना पाया गया । इस प्रकार इस डिपू धारक के 37.50+27.50=65Q. गेहुं कम दिया गया । जिसका सरकारी रेट अनुसार कीमत 43875 रुपये बनती है । इस राशि का नुकसान पहुंचाने मे राजेश कुमार लिपिक इन्चार्ज ,फोकल प्वाईन्ट हांसी अजीत सिहं ठेकेदार व महेन्द्र सिहं उपनिरीक्षक हांसी की जिम्मेवारीबनती है । इस प्रकार कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामस्वरुप , निवासी ढाणी पुरिया के डिपो का रिकार्ड चैक किया गया । इस डिपू धारक के नाम रसीद न० 8828 दिनांक 30.5.11 रसीद न० 13563 दिनांक 29.6.11 व रसीद न० 1213 दिनांक 9.8.11 को 10.22+20=52Q. जारी की जा कर डिपू पर वितरण दिखाया गया है । जबकि यह गेहुं डिपू पर पहुंचानी नही पाई गई । इस प्रकार 52Q. गेहुं जिसका सरकारी रेट अनुसार 43404 रुपये कीमत बनती है । जिसके लिये राजेश कुमार लिपिक इन्चार्ज ,फोकल प्वाईन्ट हांसी , कनफैड अजीत सिहं परिवहन ठेकेदार जसवंत सिहं उपनिरीक्षक वा मेवा सिहं AFSO तथा पदम सिहं AFSO की मिलीभगत पाई गई है । इसी प्रकार तरुण कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान , निवासी तिकोना पार्क हांसी के डिपो को चैक किया गया तो इस डिपू धारक को 20.6.11 को 12.8.11 व 27.11.11 के 32+ 38+40Q. APL गेहुं जारी किया गया है तथा उक्त राशन डिपो पर पहुंचाना भी पाया गया है । 12.8.11 के जो 38Q. गेहुं कम दिया गया है तथा इसकी रसीद न० 25379जो 45Q. गेहुं की जारी करनी पाई गई है । इस प्रकारी 7Q गेहुं कम दिया गया है तथा इसके अलावा रसीद न० 765 दिनांक 25.5.11 व रसीद न० 13517 दिनांक 27.6.11 व रसीद न० 26079 दिनांक 19.8.11 के अनुसार 26+39+48Q.=113Q.APL गेहुं डिपो होल्डर के नाम जारी किया गया। मगर यह राशन रिकार्ड अनुसार डिपो पर पहुंचाना नही पाया गया । इस प्रकार 7+113=120Q. APL गेहुं जिसकी राशि 81000 बनती है इस प्रकार इसको उक्त तीन माह मे केवल 110Q. गेहुं दिया गया है । जबकि सरकार द्वारा 188.40Q. गेहुं लिया गया है । इस प्रकार इस डिपो धारक को 188.40-110=78.40X675=52980 रुपये का कम दिया गया । इस, प्रकार कुल81000+52980=133980 रुपये की सरकार को हानि हुई है इस हानि पहुंचाने मे राजेश कुमार लिपिक इन्चार्ज ,फोकल प्वाईन्ट हांसी ,महेन्द्र सिहं उपनिरीक्षक विपन कुमार निरीक्षक वा मेवा सिहं AFSO व पदम सिहं AFSO अजीत सिहं परिवहन ठेकेदार की मिलीभगत पाई गई है । इस प्रकार पवन कुमार पुत्र श्री गोपी राम वासी बोगराम कालोनी हांसी का डिपो को चैक किया गया तो पाया गया कि इस डिपो धारक के पास 396APL कार्ड होने पाए गए तथा इस डिपो धारक को 25.5.11 के 20.6.11, 5.8.11,22.11.11 को 25+32+45+42=144Q. गेहुं दिया गया है । जबकि सरकार की तरफ से इस डिपू

धारक को 198Q. गेहुं मिलना पाया गया है । इस प्रकार इस डिपू धारक को 198-144=54Q. APL गेहुं कम दिया जाना पाया गाय है तथा रसीद न० 13525 दिनांक 28.6.11 के रसीद न० 25081 दिनांक 19.8.11 के अनुसार इस डिपू धारक के नाम 63+47Q. को जारी की जा कर वितरण दिखाया गया है । जबकि रिकार्ड अनुसार यह गेहुं डिपू पर पहुंचानी नही पाई गई । इस प्रकार इस 54+63+47= 164. 00Q. गेहुं जिसकी राशि 164X675=110700/- रुपये का नुकसान हुआ है । इस हानि को पहुंचाने मे राजेश कुमार फोकल प्वाईन्ट हांसी पदम सिहं AFSO निरीक्षक प्रेम सिहं व जिले सिहं तथा अजीत सिहं परिवहन ठेकेदार की मिलीभगत पाई गई है । शिवचरण पुत्र श्री बनवारी लाल, विकास नगर हांसी के डिपो का रिकार्ड चैक किया गया जो इस डिपू धारक को केवल5 बारAPL गेहुं 177Q. दी जानी पाई गई है । उक्त डिपो पर 530 APL कार्ड होने पाए गए है । इस डिपू की देय मात्रा 265Q बनती थी तथा सरकार की तरफ से पुरा राशन जारी किया जाना पाया गया है । इस प्रकार डिपो धारक को 265-177=88Q. कम दी गई है । जिसकी राशि 65328.00 रुपये बनती है तथा इस डिपो धारक के नाम बिल न० 13528 दिनांक28.6.11 का बिल न० 25064 दिनांक 19.8.11 के 60+57Q का जारी किया गया है तथा कानफैड के स्टाक रजिस्टर मे इस गेहुं को डिपु धारक के नाम वितरण दिखाया गया है जबकि यह गेहुं डिपु पर पहुंची ही नही है । इसकी राशि 93795रुपये बनती है । इस प्रकार 93795+65328=159123.00 रुपये का सरकार को कुल नुकसान पहुंचाया है इस नुकसान के लिये राजेश लिपिक इन्चार्ज फोकल पाईट हांसी व मेवा सिहं एएफएसओ , पदम सिहं एएफएसओ व निरीक्षक रमेश कुमार जिम्मेवार है । इस प्रकार हरिश कुमार पुत्र श्री धर्मचन्द, मुलतान नगर कालोनी हांसी के डिपू होल्डर खरबला को चैक किया गया डिपू होल्डर के पास रजिस्ट्रैशन रजिस्टर के अनुसार 582 एपीएल राशन कार्ड होने पाए पए है और इस डिपू होल्डर की देयमात्रा मई 2011 से जुलाई 2011 तक 10 कि.ग्रा. प्रति कार्ड के हिसाब से 58.20 क्विंटल गेहुं प्रति माह बनती है तथा अगस्त व नवम्बर 2011 की गेहुं 15 कि.ग्रा. प्रति कार्ड के हिसाब से 87.30 क्विटंल गेहुं प्रति माह बनती है । इस डिपू धारक के रिकार्ड के अनुसार मई 2011, जून 2011 अगस्त 2011 व दिसम्बर 2011 मे कुल 213 क्विटंल दी जानी पाई गई है जबकि इस डिपू धारक की देय मात्रा 291 क्विंटल बनती है । इस प्रकार इस डिपू धारक को 78 क्विटलं गेहु मात्र से कम देनी पाई गई है । जिसका सरकारी रेट अनुसार 58627.40 रुपये बनती है । इस नुकसान को पंहुचाने मे राजेश कुमार इन्चार्ज लिपिक फोकल पाईट हांसी पदम सिहं ए.एफ.एस.ओ. हासीं व मेवा सिहं AFSO व निरीक्षक प्रेम शर्मा निरीक्षक , रणधीर सिहं निरीक्षक व अजीत सिहं ठेकेदार की मिली भगत पाई गई है व जिम्मेवार है इसी प्रकार औमप्रकाश वासी सीसर डिपो होल्डर के रिकार्ड को चैक किया गया इस डिपू होल्डर के पास 803 एपीएल के राशन कार्ड होने पाए गए है । इस डिपू होल्डर को मई 2011 जुन 2011 अगस्त 2011 व दिसम्बर 2011 मे 49+64+96+ 96=305 क्विटंल गेहुं एपीएल देनी पाई गई है । जबकि इसकी देय मात्रा 80.30+80.30+ 120. 45+ 120.45 =401.50क्विटलं बनती है । जो इस डिपू धारक को 401.50-305=96.50 क्विटंल गेहुं एपीएल गेहुं कम दी गई है । जबकि सरकार द्वारा इस डिपू धारक के नाम पुरी गेहुं जारी की जानी पाई गई है । इसके अलावा इस डिपू होल्डर के नाम रसीद न० 13572 दिनांक 30.6.11 के अनुसार 64क्विटंल जारी की जानी पाई गई है । जिसका सरकारी रेटी अनुसार किमत 64गुना 922=59008 रुपये बनती है तथा इसी प्रकार रसीद न० 25415 दिनांक 28.8.11 के अनुसार 96क्विटंल जारी की जानी पाई है । जबकि यह गेहुं डिपू पर पंहुचानी नही पाई गई

है । जिसका सरकारी रेट अनुसार किमत 96 गुना685 = 64800रुपये बनती है इस प्रकार जो कुल नुकसान 196676.60 रुपये बनता है । इस नुकसान पंहुचाने मे राजेश कुमार इन्चार्ज लिपिक फोकल पाईट हांसी, अजीत सिहं ठेकेदार , रणधीर सिहं निरीक्षक ,प्रेम शर्मा निरीक्षक ,मेवा सिहं AFSO हासीं व पदम सिहं ए.एफ.एस.ओ. हांसी की मिली भगत पाई गई है । इस नुकसान के लिये उपरोक्त सभी जिम्मेवार है । इस प्रकार सतीश डिपू होल्डर भाटला को शामिल जांच किया जिसने बतलाया कि उसका रिकार्ड गुम हो गया है जो इस पर डीएफएससी ने सतीश डिपू होल्डर की जांच करवाकर सप्लाई को रोक दिया तथा इस डिपू धारक के नाम जो सप्लाई थी वह सप्लाई सुभाष डिपू होल्डर चैनत के साथ अटैंच कर दी गई थी । जुन 2011 से पहले इस डिपू धारक के नाम कोई सप्लाई जारी नही की गई है इस डिपू होल्डर को दिसम्बर 2011 मे आम जनता की प्रार्थना पर डिपू की सप्लाई को बहाल कर दिया गया था इस डिपू होल्डर का वितरण रिकार्ड व स्टोक रजिस्ट्रर फोकल प्वाईन्ट हांसी से प्राप्त किया जाकर मिलान किया गया । मिलान से पाया गया कि इस डिपु धारक को AAY गेहुं58Q. BPLगेहुं 380Q.व APL गेहुं 138+25.25Q. मात्रा से ज्यादा देना पाई गई है । इस प्रकार इस डिपु होल्डर को AAY 14.50+BPL125=139.50Q. गेहुं जिसकी सरकारी रेट अनुसार राशि 61702.50 रुपये बनती है ।इसी प्रकार 43.50Q. AAY तथा 380Q. गेहुं BPL बिना राशन कार्ड होते हुए जारी की है । इनकी कुल राशि 8482.50+17898.00=187462.50 बनती है तथा दिनांक 6.8.2011 को 22.85Q. APL गेहुं मात्रा से ज्यादा दी गई है जिसकी राशि 15423.70 रुपये बनती है तथा 138Q. गेहुं APLजो रसीद न० 10711 दिनांक 29.11.2011 को डिपू होल्डर के नाम जारी की गई है और स्टोक रजिस्ट्रर मे इस गेहुं का वितरण दिखाया गया है जबकि यह गेहुं डिपू पर नही पंहुचनी पाई गई है और रसीद पर सतीश कुमार के हस्ताक्षर किये जाने पाये गये है उस समय यह डिपू सुभाष चैनत के साथ अटैच करना पाया गया है इसलिए 138 क्विटंल गेहुं की राशि 94150रुपये सरकारी रेट के अनुसार बनती है राजेश कुमार इन्चार्ज फोकल पाईंट हांसी अजीत सिहं परिवहन ठेकेदार ,रमेश कुमार उप निरीक्षक व पदम सिहं ए.एफ.एस.ओ. मिली भगत करके कुल 358738.70 रु० का नुकसान पंहुचाया है इसके लिये उपरोक्त सभी जिम्मेवार है । जो इस प्रकार रेन्डमतौर पर 50 डिपूओ की चैकिंग के दोरान करीब 21 डिपुधारको व सम्बन्धित अधिकारियो द्वारा कुल 12741.87 क्विंटल गेहुं व ठेकेदार की प्रतिभुति राशि 9.5 लाख रु० सहित कुल 10442 117.90 रु० की हानी अनियमितता करके सरकार को पंहुचाई है जिस पर भुपेन्द्र सिहं निरीक्षक ने जांच पुर्ण करके जांच की अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके पत्र क्रमांक 1318/एस,वी.बी./हिसार दिनांक 24.4.15 से महानिदेशक रा०चौ०ब्यूरो ह० पंचकुला को भेजी गई थी जो महानिदेशक रा०चौ०ब्यूरो ह० पत्र क्रमांक5573/ आई -3/रा०चौ०ब्यूरो ह० पचंकुला के दिनांक 30.4.15 के मार्फत सरकार को भेजी गई जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग पचंकुला के यादि क्रा० 55/13/12-3 चौकसी(II) दिनांक 12.6.15 की अनुपालना मे महानिदेशक रा०चौ०ब्यूरो ह० पचंकुला के पृष्ठाकन न० 8492/आई-3/ रा०चौ०ब्यूरो ह० पचंकुला दिनांक 18.6.15 के अनुसार उपरोक्त सभी आरोपीयो के खिलाफ सम्बन्धित धाराओ के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर निर्देश दिये जो उपरोक्त अनियमितता व सरकार को हानि पहुचांने मे मेवा सिहं जिला प्रबन्धक कान्फैड विभाग हिसार, नराताराम सैनी जिला प्रबन्धक कान्फैड विभाग हिसार, सुभाष गुप्ता लेखाकार कान्फैड विभाग हिसार , राजेश कुमार ईन्चार्ज फोकल प्वाईटं हांसी ,पदम सिहं (रिटार्यड)सहायक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हांसी , कृष्ण कुमार

उपनिरीक्षक डिलींग हैन्ड डी.एफ.एस.सी. कार्यालय हिसार अजीत सिहं परिवहन ठेकेदार गावं मोठ जिला हिसार, महेन्द्र सिहं उप निरीक्षक खाद्य एवं आपुर्ति विभाग हांसी ,विपिन कुमार निरीक्षक खाद्य एवं आपुर्ति विभाग हांसी , साधुराम उप निरीक्षक खाद्य एवं आपुर्ति विभाग हांसी ,रमेश कुमार उपनिरीक्षक खाद्य एवं आपुर्ति विभाग हांसी . जसवंत सिहं निरीक्षक खाद्य एवं आपुर्ति विभाग हांसी , प्रेम प्रकाश शर्मा निरीक्षक खाद्य एवं आपुर्ति विभाग हांसी , जिले सिहं निरीक्षक खाद्य एवं आपुर्ति विभाग हांसी ,रणधीरसिह उपनिरीक्षक खाद्य एवं आपुर्ति विभाग हांसी ,राजेन्द्रसिहं निरीक्षक खाद्य एवं आपुर्ति विभाग हांसी , जीवन दास डिपू होल्डर वार्ड न० 2हांसी , प्रकाश डिपू होल्डर मसुदपुर मांगे राम डिपू होल्डर मसुदपुर ,मजींत डिपू होल्डर राजपूरा , सोरभ बसंल वार्ड न० 7 हांसी , कृष्ण कुमार डिपू होल्डर ढाणीपाल, बलराज डिपू होल्डर बडाला सुखबीर डिपू होल्डर बडाला, विनोद डिपू होल्डर बडाला , मनोज डिपू होल्डर सिसाय , अशोक डिपू होल्डर सिसाय , अजीत डिपु होल्डर भकलाना , राजेश डिपु होल्डर ढाणी कुतुबपुर राजबीर पुत्र कर्ण सिहं डिपू होल्डर पुठी समैण जयपाल डिपू होल्डर पुठी समैण , विकास डिपू होल्डर पुठी समैण , राजबीर पुत्र बलदेव डिपू होल्डर पुठी समैण , सुभाष डिपू होल्डर चैनत , राजेश डिपू होल्डर चैनत , राजेश डिपू होल्डर दयाल सिहं कालोनी हांसी , सतीश डिपू होल्डर भाटला तथा मेवा सिहं एफ.एस.ओ. हांसी ने मिली भगत करके सरकारी गेहुं के राशन की सप्लाई मे घपला करके व रिकार्ड से छेडछाड करके व रिर्कोड को गुम करके और डिपू होल्डरो के जाली हस्ताक्षर करके डिपू होल्डरो द्वारा जमा की जाने वाली राशि को अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा खुद बैंक मे जमा करवाकर उपरोक्त अधिकारियो ने अपने पद का दुरुप्रयोग किया है और डिपु होल्डरो से मिली भगत करके 10442117.90 रु० की राशि का गबन करके सरकार को नुकसान पंहुचाया जो उपरोक्त सभी ने ऐसा करके जेरधारा 409,420,467,468,471,204,120 ब० भा.द.स.व 13(1) डी. 1988 एक्ट का जुर्म किया है । जो उपरोक्त सभी आरोपीयो के खिलाफ जैरधारा 409,420,467,468,471,204,120 ब० भा.द.स.व 13(1) डी. 1988 एक्ट के तहत अभियोग अकिंत करने बारे आदेश प्राप्त ओदेशो की अनुपालना मे उक्त सभी 38 कसो के खिलाफ मुकदमा व जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्ट्रर करके मिशल मुकदमा हजा मय आमदा रिकार्ड(जांच क्रं.10/12 हिसार) बराये तफतीश निरीक्षक के पास भेजी जा रही है नकुलात प्रथम सुचना रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब व अन्य सम्बन्धित अफसरान बाला को भेजी जा रही है sdअनिल कुमार निरीक्षक प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो दिनांक 21.7.20154 अज थाना लेख हजा पर मुकदमा व जुर्म दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले विष्णु प्रसाद निरीक्षक के हवाले की गई । नकुलात एफ.आई.आर. बतौर स्पैशल रिपोर्ट सिपाही विनोद कुमार 976/ रेवाडी ईलाका मैजिस्ट्रैट हिसार वा पुलिस अधीक्षक हिसार को भेजी जा रही है ।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation **OR**

(ii) Directed (Name of the I.O.): Vishanu Parshad **Rank: Insp.**

No P/Inspr **to take up the investigation, OR**

(iii) Refused investigation due to: **OR**

(iv) Transferred to P.S.(name):

On point of jurisdiction: **District:**

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:
R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression	**Signature of Officer**
Of The Complainant/Informant:	**Name Kulwant Singh No.37/H**
	Rank SI .